"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2005—माघ 1, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2004

क्रमांक 3024/2052/2004/1/2/लीव.—श्री शांतनु, भा.प्र.से. को दिनांक 30-12-2004 से 7-1-2005 तक (9 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8 एवं 9 जनवरी, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री शांतनु के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पी. सेन भौमिक, उप महाप्रबंधक अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

3. अवकाश से लौटने पर श्री शांतनु आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल एवं उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री शांतनु को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शांतनु अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2004

क्रमांक 3061/1966/2004/1/2/लीव.—श्री उजागर सिंह, भा.प्र.से. को दिनांक 27-11-2004 से 29-11-2004 तक (3 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 26-11-2004 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2004

क्रमांक 3076/3007/2004/1/2/लीव.—श्री उजागर सिंह, भा.प्र.से. को दिनांक 27-12-2004 से 1-1-2005 तक (6 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर, 2004 तथा 2 जनवरी, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2004

क्रमांक 3088/2071/2004/1/2.—इस विभाग के आदेश दिनांक 24-12-2004 के द्वारा श्री एम. एस. मूर्ति, भा.प्र.से. को दिनांक 10-12-2004 से 24-12-2004 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

2. श्री मूर्ति, भा.प्र.से. दिनांक 10-12-2004 से 16-12-2004 तक उक्त अवकाश का उपभोग करने के पश्चात् दिनांक 17 से 19 दिसम्बर, 2004 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाकर दिनांक 20-12-2004 को कार्य पर उपस्थित हो गये हैं. अतः दिनांक 20-12-2004 से 24-12-2004 तक के अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-7/40/2004/1/2/लीव.—डॉ. बी. एस. अनन्त, भा.प्र.से. को दिनांक 27-12-2004 से 5-1-2005 तक (10 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25 एवं 26-12-2004 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अनन्त आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. अनन्त को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अनन्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-7-44/2004/1/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 2002/1284/2004/1/2 लीव, दिनांक 11-8-2004 द्वारा श्री विकास शील, भा.प्र.से. (1994) को दिनांक 2-8-2004 से 13-8-2004 तक (12 दिवस) का पितृत्व अवकाश (दिनांक 14 एवं 15-8-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ते हुए) स्वीकृत किया गया था. इसी के अनुक्रम में श्री शील को दिनांक 16-8-2004 से 20-8-2004 तक (5 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22-8-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-7/03/2004/1/2/लीव.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4-11-2004 द्वारा डॉ. इंदिरा मिश्र, भा.प्र.से. को दिनांक 8-11-2004 से 8-12-2004 (31 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

2. डॉ. मिश्र उक्त अवकाश समाप्ति के पूर्व दिनांक 7-12-2004 को कार्य पर उपस्थित हो गई हैं. तथा उक्त अवकाश अवधि इन्हें ज्ञाप दिनांक 23-11-2004 द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बैठक दिनांक 18-11-2004 में भाग लेने की अनुमति के साथ उक्त दिवस को कर्त्तव्य दिवस मान्य की गई है.

3. अतः दिनांक 18-11-2004, 7-12-2004 एवं 8-12-2004 के अर्जित अवकाश को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2004

क्रमांक जा.प्र.प. छानबीन समिति/1959/आजावि/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के अधीन जाति प्रमाणपत्रों की छानबीन करने हेतु "विजिलेन्स सेल" का गठन कर निम्नानुसार सेट-अप स्वीकृत करता है :—

क्रमांक (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	पद संख्या (4)	शैक्षणिक योग्यता (5)
1.	डी. एस. पी. सीनियर ग्रेड	10,000-15,200/-	01	पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर.
2.	पुलिस इन्सपेक्टर	5,500-9,000/-	08	पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर. जांच हेतु एक इंसपेक्टर का कार्यक्षेत्र दो जिला रहेगा.
3.	अनुसंधान सहायक	5,000-8,000/-	08	सीधी भर्ती द्वारा विषय विशेषज्ञ अमला की नियुक्ति किया जाना होगा. शैक्षणिक योग्यता कम से द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि.
4.	विधि अधिकारी	8,000-13,500/-	01	एल. एल. एम. एवं उच्च न्यायालय में 5 वर्ष वकालत का अनुभव अथवा जिला न्यायालय में 07 वर्ष का अनुभव.
5.	विधि सहायक	5,000-8,000/-	01	एल. एल. बी. एवं 3 वर्ष वकालत का अनुभव.
		योग	19	

2. उपरोक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी.

   2.1 सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.
   2.2 स्वीकृत पद स्थायी हैं, जबकि कोई अन्यथा उल्लेख न हो.
   2.3 पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस प्रयोजन के लिये वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त न कर ली जाये.
   2.4 स्वीकृत ज्ञापन में दर्शाये गये वेतनमान सही और तत्स्थानी वेतन अनसची के अनुरूप है.

3. उक्त व्यय मांग संख्या-33-मुख्यशीर्ष-2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण-02 अनुसूचित जाति का कल्याण-800-अन्य व्यय-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना-सामान्य (आयोजनेत्तर) 334-आदिवासी अन्वेषण संस्था के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. इस स्वीकृति पर वित्त विभाग के जावक क्रमांक 978-1132/ ब-3/चार 04, दिनांक 15-9-2004 द्वारा सहमति/स्वीकृति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

क्रमांक 970/ले. पा./04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	झिटिया प. ह. नं. 16	33.55	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	झिटिया वितरक नहर एवं लघु नहर क्र. 1 एवं 2 सिंगारपुर लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

क्रमांक 970/ले. पा./04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	रानीतराई प. ह. नं. 4	0.40	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट परि. के अंतर्गत बुढ़ेना वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

क्रमांक 970/ले. पा./04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	गोड़मर्रा प. ह. नं. 16	7.40	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	झिटिया डिस्ट्रीब्यूटरी एवं गोड़मर्रा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

क्रमांक 970/ले. पा./04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	सिंगारपुर प. ह. नं. 17	18.76	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	सिंगारपुर माइनर क्र. 1 एवं 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1397/प्र-1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	बुढ़ानपुर प. ह. नं. 4	7.11	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट परि. के अंतर्गत बुड़ेना डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1378/प्र-1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची क खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	बुढ़ेना प. ह. नं. 4	28.43	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट परि. के अंतर्गत बुड़ेना डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 अक्टूबर 2004.

क्रमांक 1510/प्र-1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	जेवरतला प. ह. नं. 4	21.27	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट परि. के अन्तर्गत जेवरतला लघु माइनर क्र.1, 2 एवं 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1514/प्र-1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	सिब्दी प. ह. नं. 4	33.79	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट परि. के अंतर्गत बुढ़ेना वितरक नहर, बरबसपुर लघु नहर, सिब्दी लघु नहर क्रमांक 1, 2 एवं 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1512/प्र-1/अ.वि.अ:/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	बरबसपुर प. ह. नं. 4	4.56	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट परि. के अंतर्गत बरबसपुर लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 01/अ-82/सन् 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कौहाकुंडा प. ह. नं. 13	15.266	कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह निर्माण मंडल परियोजना संभाग, रायगढ़.	आवासीय कालोनी निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 02/अ-82/सन् 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	नंदेली प. ह. नं. 37	2.077	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कोतासुरा जलाशय योजना के तहत पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 36/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	कनेरी	8.34	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 37/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	खम्हारडीह	5.94	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 38/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	खुडियाडीह	5.21	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 39/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पिरैया	1.96	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 40/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	दुरूगडीह	2.16	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 41/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	उड़गंन	6.53	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	पौंसरी जलाशय योजना हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2004

क्रमांक 02/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पिरैया	4.16	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2004

क्रमांक 04/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	कनेरी	0.72	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9089/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	पोसवार प. ह. नं. 21	131.041	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उपसचिव छ.ग. शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2004

क्रमांक 990/प्र.अ.वि.अ./लेखा/भू-अर्जन/03 - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के मद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन
   - (क) जिला - दुर्ग
   - (ख) तहसील - डौंडीलोहारा
   - (ग) नगर/ग्राम - झिटिया, प.ह.नं. 16
   - (घ) लगभग क्षेत्रफल -33.55 एकड़

खसरा नं. (1)	रकबा एकड़ में (2)
318/1	0.12
592	0.61
255/4	0.69
742/2	0.02
745/2	0.30
775	0.99
319/1	0.26
324/1	0.20
707/1	0.20
683	0.34
677	0.27
328	0.05
776	0.78
308	0.03
566	0.10
257	0.15
250	0.09
302	0.26
712	0.18
76	0.03
565	0.14
675	0.50
744	0.75
86/1	0.10
729	0.01
730	0.61
774	0.04
713	0.16
743	0.17
324/2	0.05
749	0.21
58	0.10
758	0.58
60	0.13
258	0.42
684	0.35
697	0.28
68	0.05
66	0.43
248	0.08
87/1	0.02
700/1	0.25
742/1	0.44
745/1	0.60
311	0.57
42	0.10
228	0.47
252	0.76
682	0.20
693	0.03
41	0.01
756	1.23
88/4	0.53
229	0.04
698	0.33
696	0.93
709	0.34
53	0.20
691/1	0.35
301	0.36
39	0.12
256/3	0.13
185	0.40
748	0.61
226	1.45
40	0.12
692	0.30
740	0.16
678/2	0.15
225	0.10
246/2	0.15

(1)	(2)
88/1	0.51
747	0.56
88/3	0.32
227	0.26
746	0.21
741/1	1.20
783	0.14
57/2	0.14
249	0.15
690/2	0.60
690/3	0.07
251	0.23
714/2	0.17
708	0.16
87/2	0.05
255/1	0.40
318/2	0.08
757/2	0.47
714/1	0.06
787/3	1.55
759	0.62
760	0.64
673	0.03
782	0.75
785	0.92
674	0.30
781/2	0.24
778	0.37
255/3	0.01
71	0.01
781/1	0.01
757/1	0.04
योग	**33.55**

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है - झिटिया वितरक, झिटिया लघु नहर क्रमांक 1 एवं 2 सिंगारपुर लघु नहर निर्माण हेतु ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2004

क्रमांक 990/प्र.अ.वि.अ./लेखा/भू-अर्जन/03 - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के मद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन
   - (क) जिला - दुर्ग
   - (ख) तहसील - डौडीलोहारा
   - (ग) नगर/ग्राम - - **रानीतराई, प.ह.नं.** 4
   - (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.40 एकड़

खसरा नं. (1)	रकबा एकड़ में (2)
885	0.08
884	0.09
877	0.23
योग	**0.40 एकड़**

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है -बुढ़ेना वितरक नहर निर्माण हेतु ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2004

क्रमांक 990/प्र.अ.वि.अ./लेखा/भू-अर्जन/03 - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के मद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन
   - (क) जिला - दुर्ग
   - (ख) तहसील - डौडीलोहारा
   - (ग) नगर/ग्राम - **गोड़मर्रा, प.ह.नं.** 16
   - (घ) लगभग क्षेत्रफल - 7.40 एकड़

खसरा नं. (1)	रकबा एकड़ में (2)
492	0.44
508	0.52
494	0.26
365/5	0.08
515	0.30
493/3	0.15
473	0.24

(1)	(2)
471	0.10
517	0.20
367	0.04
368	0.12
516	0.20
491	0.14
469/2	0.12
480	0.14
518	0.03
467	0.27
512	0.26
359	0.32
519	0.07
477	0.06
484	0.06
495	0.88
469/1	0.13
513	0.19
514	0.15
366	0.26
493/1	0.23
511	0.60
360	0.27
358	0.14
485	0.42
493/2	0.01
योग	7.40 एकड

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है - झिटिया डिस्ट्रीब्यूटरी एवं गोड़मर्रा माईनर निर्माण हेतु ।
3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2004

क्रमांक 990/प्र.अ.वि.अ./लेखा/भू-अर्जन/03 - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के मद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन
   (क) जिला - दुर्ग
   (ख) तहसील - डौंडीलोहारा
   (ग) नगर/ग्राम - सिंगारपुर, प.ह.नं. 17
   (घ) लगभग क्षेत्रफल -18.76 एकड़

खसरा नं.	रकबा एकड़ में
(1)	(2)
648	0.61
1054/1	0.68
892/2	0.45
326	0.13
503	0.21
946	0.05
947	0.32
972	0.61
313	0.10
319	0.12
454	0.02
1045	0.09
448	0.53
941	0.25
512	0.33
370	0.37
364	0.30
508	0.13
930	0.71
306	0.21
906	0.12
909/1	0.01
929	0.17
363	0.29
318	0.23
501	0.18
891	0.09
937	0.55
369	0.03
971	0.08
506	0.25
1122	0.07
656	0.05
893	0.43
905	0.29
934	0.02
657	0.12
650	0.11
1043	0.16
938	0.01
504	0.02
1124/1	0.17
1148	0.13

(1)	(2)
1038	0.06
314	0.18
1116	0.20
1120/2	0.09
1121	0.19
1115	0.27
320	0.01
325	0.25
307/1	0.52
935	0.15
649	0.56
655	0.23
1041	0.43
417	0.02
936	0.33
1044/2	0.24
1046/1	0.13
1046/2	0.24
1113/3	0.15
1113/1	0.33
368/1	0.12
1039/1	0.45
1039/2	0.16
368/2	0.10
367/1	0.42
1039/5	0.27
1039/3	0.56
1124/2	0.24
1046/3	0.04
368/3	0.19
1112/1	0.45
1039/6	0.17
1039/4	0.46
1183/4	0.11
307/2	0.17
1183/3	0.33
514/1	0.09
1044/1	0.01
973	0.01
372	0.03
योग	**18.76**

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है - सिंगारपुर माईनर क्रमांक 2 एवं 2 नहर निर्माण हेतु ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

दुर्ग, दिनांक 27 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1533/प्र.अ.वि.अ./लेखा/भू-अर्जन/03 - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के मद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन
   - (क) जिला - दुर्ग
   - (ख) तहसील - गुण्डरदेही
   - (ग) नगर/ग्राम - बुढ़ानपुर, प.ह.नं. 4
   - (घ) लगभग क्षेत्रफल - 7.11 एकड़

खसरा नं. (1)	रकबा एकड़ में (2)
377	0.25
247	0.17
54	0.07
378	0.02
74	0.54
425	0.05
65	0.88
248	0.25
397	0.20
182	0.16
478	0.06
477	0.10
396	0.06
407	0.09
75	0.22
381	0.13
480	0.28
394	0.03
183	0.15
481	0.32
405	0.10
406	0.14
59	0.12
184	0.08
380	0.09
482	0.21
483	0.32

(1)	(2)
249	0.08
376	0.08
409	0.14
60	0.26
52	0.41
62	0.27
479	0.25
408	0.07
395	0.04
185	0.26
379	0.16
कुल योग	**7.11 एकड़**

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है - बुड़ेना डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

दुर्ग, दिनांक 27 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1535/प्र.अ.वि.अ./लेखा/भू-अर्जन/03 - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के मद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन
   - (क) जिला - दुर्ग
   - (ख) तहसील - गुण्डरदेही
   - (ग) नगर/ग्राम - **बुड़ेना, प.ह.नं. 4**
   - (घ) लगभग क्षेत्रफल -28.43 एकड़

खसरा नं.	रकबा एकड़ में
(1)	(2)
946	0.05
560	0.20
380	0.19
374	0.02
732	0.17
900	0.01
402	0.21
927	0.29
77	0.74
206	0.51
450	0.03
766	0.18
1001	0.12
100	0.29
207	0.12
746	0.42
1009	0.04
945	0.78
449	0.46
772	0.39
430	0.02
943/1	0.05
1007	0.07
242	0.57
934	1.04
913	0.04
94	1.27
1002	0.74
84	0.30
83	0.15
237	0.02
914	0.25
82	0.25
143	0.68
857	0.30
98	0.57
400	0.04
405	0.05
563/1	0.36
901	0.86
390	0.14
399	0.20
401	0.12
765	0.14
771	0.06
928	1.02
943/2	0.43
381	0.35
761	0.25
856	0.39
762	0.26
146	0.36
144	0.81

(1)	(2)
238	0.69
66	0.14
239	0.75
1008	065
99	0.20
768	0.19
733	0.17
1005	0.28
1006	0.78
735	0.05
731	0.03
929	0.24
398	0.22
243	0.25
734	0.17
559	0.60
194	0.60
564	0.85
763	0.50
565	0.05
403	0.03
933	0.26
767	0.20
193	0.70
935	0.04
912	0.19
145	0.10
376	0.75
1003	0.04
429	0.27
404	0.25
748	0.01
747	0.34
244/2	0.02
707/2	0.29
738/3	0.05
368	0.10
कुल योग	**28.43 एकड़**

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है - बिड़ेना डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

दुर्ग, दिनांक 8 नवम्बर 2004

क्रमांक 1595/प्र.-1/04 - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के मद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन
   - (क) जिला - दुर्ग
   - (ख) तहसील - गुण्डरदेही
   - (ग) नगर/ग्राम - सिब्दी, प.ह.नं. 4
   - (घ) लगभग क्षेत्रफल -33.79 एकड़

खसरा नं.	रकबा एकड़ में
(1)	(2)
752	0.02
165	0.57
687	0.12
192	0.16
261	0.74
236	0.12
87	0.11
96	0.15
1059	0.22
235	0.12
10/2	0.04
36	0.71
28	0.01
37	0.47
27	0.34
12	0.46
34	0.05
164	0.21
191	0.29
29	0.32
18	0.01
30	0.16
679	0.16
77	0.24
193	0.19
24	0.03
113	0.01
100	0.06
141/1	1.81
742	0.27

(1)	(2)
33	0.18
86	0.20
91	0.15
93.	0.15
102	0.51
90	0.50
25	0.39
26	0.45
40	0.57
163	0.25
171	0.33
6	0.01
3	1.50
684	0.14
757	0.15
76	0.01
22	0.14
2	0.11
741	0.29
745	0.18
315	0.22
345	0.08
685	0.08
133	0.07
751	0.09
678	0.20
1060/2	0.26
683	0.13
123/2	0.23
132	0.37
230/1	0.14
233	0.06
316	0.60
681	0.12
688	0.20
808	0.40
994	0.48
227	0.08
103	0.34
73	0.98
74	1.15
754	0.11
756	0.17
758	0.18
35	0.04

(1)	(2)
1058	1.00
10/1	0.13
88	0.14
294	0.30
234	0.08
232	0.15
46/1	0.62
230/2	0.24
277	0.54
1040	0.40
19	0.22
47	0.34
7	1.51
4	0.54
197	0.08
55	0.14
41	0.59
809	0.32
995	0.02
11	0.91
231	0.08
314	0.26
129	0.45
5/1	0.41
738/1	0.14
54/2	0.50
5/4	1.32
805/1	0.04
104/1	0.16
805/3	0.01
13/1	0.28
141/2	0.08
95	0.05
54/1	0.33
46/2	0.25
कुल योग	**33.79 एकड़**

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है - बिड़ेना डिस्ट्रीब्यूटरी एवं सिन्दी लघु नहर क्रमांक 1, 2, एवं 3 एवं बरबसपुर लघु नहर निर्माण हेतु ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

दुर्ग, दिनांक 8 नवम्बर 2004

क्रमांक 1595/प्र.-1/04 - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के मद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन -
   - (क) जिला - दुर्ग
   - (ख) तहसील - गुण्डरदेही
   - (ग) नगर/ग्राम - **जेवरतला, प.ह.नं. 4**
   - (घ) लगभग क्षेत्रफल -21.27 **एकड़**

खसरा नं.	रकबा एकड़ में
(1)	(2)
533	0.16
539/1	0.14
379	0.46
735	0.39
707	0.04
724	0.04
755	0.17
763	0.18
361	0.37
721	0.53
757	0.02
530	0.25
553	0.19
375	0.16
386	0.42
357	0.20
358	0.37
346	0.12
347	0.28
345	0.54
563	0.49
507	0.03
701	0.03
374	0.16
537	0.01
550	0.22
772 /2	0.11
362/1	0.05
564/1	0.30
360	0.37
499	0.68
(1)	(2)
624	1.00
729	0.18
731	0.06
756	0.16
720	0.10
761	0.44
762	0.24
615	0.19
356	0.35
728	0.32
732	0.05
384	0.26
359	0.13
399	0.88
620	0.02
556	0.02
557	0.18
561	0.10
495	0.06
772/1	0.24
362 /4	0.18
362 /5	0.09
388	0.05
387	0.14
611	0.35
613	0.01
616	0.17
725	0.22
736	0.05
703	0.11
727	0.04
378	0.38
373	0.40
532	0.24
737	0.65
733	0.10
704	0.38
726	0.19
734	0.55
723	0.06
625	0.06
614	0.18
630	0.10
705	0.20
330	0.34
565	0.10
562	0.72

(1)	(2)
362/3	0.20
722	0.01
176	0.45
626	0.05
627	0.26
539/2	0.41
764	0.02
754	0.09
758	0.08
612	0.22
631	0.09
528/2	0.10
529/2	0.17
753	0.03
362/2	0.16
564/2	0.29
772/3	0.09
344	0.03
योग	**21.27 एकड़**

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है - जेवरतला माईनर क्रं. 1, 2 एवं 3 लघु नहर निर्माण हेतु ।
3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

दुर्ग, दिनांक 8 नवम्बर 2004

क्रमांक 1595/प्र.-1/04 - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के मद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन
   - (क) जिला - दुर्ग
   - (ख) तहसील - गुण्डरदेही
   - (ग) नगर/ग्राम - बरबसपुर, प.ह.नं. 4
   - (घ) लगभग क्षेत्रफल -4.56 एकड़

खसरा नं.	रकबा एकड़ में
(1)	(2)
281	0.41
284	0.14
287	0.07
288	0.08
289	0.31
282	0.07
285	0.22
286	0.06
227	0.38
228	0.54
229	0.01
221	0.69
224	0.01
225	0.28
181	0.01
182/2	0.15
182/1	0.46
185	0.17
187	0.15
188	0.35
योग	**4.56 एकड़**

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है - बरबसपुर माईनर निर्माण हेतु ।
3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
जवाहर श्रीवास्तव कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

रा.प्र.क्र. 06/अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पैकू, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.324 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
742/1	0.138
745/2	0.125
745/3	0.125
749	0.243
748/4	0.045
750/2	0.073
806	0.020
819/1	0.093
879	0.057
884	0.073
889	0.138
913/2	0.016
742/2	0.162
914/3	0.024
914/2	0.024
888	0.020
750/1	0.049
802/2	0.202
817/1	0.283
872	0.020
882	0.036
912/2	0.081
914/4	0.016
919	0.032
814/1	0.024
802/1	0.222
881	0.045
819/3	0.089
880	0.049
886	0.097
913/1	0.020
915/1	0.061
922/1	0.020
750/3	0.061
804	0.146
819/2	0.093
873	0.036
883	0.036
906	0.049
913/3	0.016
918/3	0.036
878	0.036
योग 42	3.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नीमगांव जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

रा.प्र.क्र. 07/अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जिलिंग, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.619 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
104	0.138
120	0.222
119	0.259
योग 3	0.619

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नीमगांव जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

रा.प्र.क्र. 08/अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रातामाटी, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.806 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100	0.097
101/3	0.097
132/1	0.089
132/3	0.069
176/2	0.012
179	0.073
181/1	0.040
181/2	0.065
182/2	0.024
182/4	0.016
204/2	0.049
101/2	0.069
128	0.057
132/2	0.049
132/4	0.080
137/2	0.113
176/1	0.012
181/3	0.065
182/1	0.065
182/3	0.008
204/1	0.032
204/3	0.040
204/4	0.032
205	0.024
206/2	0.069
220/2	0.089
221/2	0.097
204/5	0.032
206/1	0.097
219	0.040
221/1	0.105
योग 31	1.806

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नीमगांव जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

रा.प्र.क्र. 09/अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोगड़ा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.722 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
144/3	1.418
158	0.717
172	0.445
178	0.049
180	0.972
183	0.121
योग 6	3.722

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोगड़ा जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

रा.प्र.क्र. 10/अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोगड़ा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.695 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
51/1	0.081
62/1	0.061
57	0.081
207/6	0.049
61	0.113
49	0.089
207/7	0.020
211	0.073
213	0.202
212/2	0.202
221/2	0.028
59	0.081
64	0.049
222	0.178
58	0.178
63	0.097
243	0.567
65	0.081
212/3	0.121
210	0.223
212/4	0.181
योग 21	2.695

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोगड़ा जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

रा.प्र.क्र. 11/अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चड़िया, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.216 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
421	0.073
428	0.162
508/1	0.065
426	0.235
427	0.004
491	0.182
512	0.097
468/2	0.073
443/2	0.049
451	0.016
511/1	0.121
422	0.061
425	0.251
463/1	0.032
446/1, 444/1, 445	0.235
440	0.283
463/3	0.049
441	0.170
447	0.057
465/1	0.040
513/1, 528/2	0.194
530/1	0.182
510/1	0.105
511/2	0.057

(1)	(2)
528/1	0.121
532	0.089
509	0.040
465/2	0.032
530/2	0.162
531	0.040
529	0.049
योग 34	4.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोगड़ा जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

रा.प्र.क्र. 12/अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डडगांव, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.139 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
9	0.202
10	0.020
29	0.222
110/3	0.101
242	0.032
31	0.445
32	0.202
241/1	0.024
48/2	0.032
50/1	0.032
48/1क	0.024
50/2	0.036
128/1	0.069
129	0.069
130	0.089
195	0.069
196	0.065
559	0.073
131/1	0.235
131/2	0.235
136/1	0.040
136/2	0.036
48/1 ख	0.081
451	0.113
52	0.138
127	0.113
208	0.008
560	0.182
57/1 ख	0.057
54	0.146
207	0.231
94/4	0.069
197, 198, 200/1	0.134
139/1 क	0.231
194/1 क	0.138
194/2 क	0.049
232	0.101
235	0.045
236	0.016
243	0.040
244	0.069
262/28 ग	0.040
266	0.069
95/1	0.028
96	0.089
584/28 ख	0.028
97	0.113
98	0.012

	(1)	(2)
	108	0.008
	109	0.206
	115	0.162
	116	0.202
	100	0.008
	125	0.113
	126	0.020
	270	0.089
	274/1 ग	0.073
	261/2	0.036
	279	0.045
	281	0.020
	283	0.045
	452/1	0.069
	454	0.028
	546	0.089
	549	0.117
	550	0.117
योग	68	6.139

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डडगांव योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

रा.प्र.क्र. 13/अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-जशपुर

(ग) नगर/ग्राम-खरसोता, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.027 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
386	0.069
387/1	0.101
390/1	0.089
397	0.057
394	0.251
499/1	0.081
390/1	0.138
389	0.150
1584	0.057
1585	0.065
1392	0.231
1396/1	0.069
1396/2	0.069
1531	0.069
1532	0.121
1548	0.113
1550	0.008
1552	0.008
1540/1 ख	0.032
1540/2 ख	0.073
1540/1 क	0.020
1540/2 क	0.032
1602/1	0.231
1553	0.020
1554	0.020
1555	0.020
1556	0.020
1558	0.020
1559	0.024
1563	0.024
1565	0.032
1564	0.032
1568	0.045
1571	0.024
1572	0.073
1574	0.057
1576	0.045
1580	0.045
1591	0.045
1581/1	0.020
1581/2	0.020

(1)	(2)
1582	0.036
1587	0.065
1588	0.024
1592, 1593	0.182
योग 46	3.027

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डडगांव योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

रा.प्र.क्र. 14/अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-जशपुर
(ग) नगर/ग्राम-लोदाम, प. ह. नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.897 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
793/2	0.073
795	0.158
801	0.186
939/2	0.081
942	0.384
973/2	0.057
995	0.069
997/1	0.129
999/1	0.219
1002	0.077
794	0.117
796	0.065
802	0.178
940	0.384
1001	0.097
994	0.065
996	0.259
997/2	0.125
1000	0.174
योग 19	2.897

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाला व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-राजाआमा, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-153.835 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31/6	0.048
91/2	0.076

(1)	(2)
310	0.668
299/7	0.243
103/18	0.105
203/3	0.170
103/19	0.210
203/4	0.065
136/32	0.425
469/3	0.075
470	0.083
518/3	0.386
301/4	1.113
350	0.134
464/538	0.085
183/2	0.372
192/2	0.255
204	0.526
167/11	0.729
167/12	0.526
167/25	0.466
103/8	0.502
103/3	0.223
103/13	0.162
103/21	0.065
325	0.166
326	0.210
469/2	0.075
518/2	0.384
469/1	0.020
518/1	0.384
167/22	0.890
353	0.072
517	0.182
465/539/2	0.221
285/3	0.364
294/3	0.115
286/3	0.129
340/3	0.170
454/3	0.040
516	0.283
451/3	0.101
301/2	0.425
167/43	0.101
192/5	0.154

(1)	(2)
297/2	0.275
299/8	0.049
334/3	0.166
334/5	0.255
348	0.143
297/4	0.104
299/12	0.344
203/6	0.105
103/9	0.275
103/15	0.283
103/16	0.113
103/17	0.154
293/2	0.113
106/2	0.405
149/2	0.017
188/2	0.101
188/4	0.089
188/6	0.162
191/2	0.595
193/1	0.231
198	0.097
200	0.697
326	0.081
329	0.267
333	0.101
371/1	0.405
74/1	0.413
224/2	0.118
64/2	0.060
228/2	0.036
227/2	0.016
114/15 क	0.348
114/21 क	0.267
167/5 ख	0.445
167/6 ख	0.627
167/7 ख	0.591
167/8 ख	0.170
318/1 ख	0.049
319	0.829
331/2	0.158
490/2	0.486
497/2	0.049
504	0.049

(1)	(2)	(1)	(2)
167/6 क	0.668	473	0.170
167/7 क	0.162	475	0.073
318/1 क	0.140	196/3	0.057
331/1	0.158	196/4	0.180
471	0.162	210/2	0.020
485	0.470	358	0.061
488	0.364	489/2	0.162
490/1	0.243	520/2	0.112
496	0.202	519/2	0.061
497/1	0.008	168	0.020
106/1 ख	0.364	493/3	0.283
114/2 ख	0.295	519/3	0.061
121/4	0.777	220/2	0.121
123/2 ख	0.360	472/2	0.016
149/1, 149/3 ख, 150, 151/3	0.075	465/539/1	0.190
156/2	0.296	183/9	0.162
186/2	0.121	114/22	0.793
181/1 ख	0.235	167/15, 183/5, 183/8	0.708
191/3 ख	0.299	183/3	0.085
193/3 ख	0.741	183/4	0.138
118	2.347	183/6	0.129
124	0.412	463/7	0.081
185/1	0.412	349	0.028
152/2	0.464	114/17 क	0.526
154/4	0.004	114/17 ख	0.526
105/541/2	0.004	114/17 ग	0.526
302	1.194	95	0.008
303/2	0.121	103/20	0.364
103/28	0.028	103/18, 203/3	0.275
463/6	0.040	167/28	0.162
103/31	0.081	103/36	1.214
311/1	0.356	489/9	0.405
435/7	0.004	493/1	0.425
513/1	0.243	520/1	0.134
521	0.121	101	0.545
167/15, 183/5, 183/8	0.849	285/1	0.364
192/9	0.364	186/1	0.129
192/10	0.890	294/1	0.115
469/4	0.077	295	0.064
518/4	0.384	334/1	0.178
102/26	1.477	339	0.174
299/3	0.243	340/1	0.170
301/1	0.061	454/1	0.060

(1)	(2)	(1)	(2)
451/1	0.102	117	0.089
106/1 ग	0.809	125	0.097
183/10	0.559	151/2	0.186
114/20 क	0.202	153	0.097
104/28	0.193	155/1	0.543
102/1	0.364	435/1	0.486
103/32 क	1.011	531	0.729
114/24 क	0.500	533	0.283
104/1	0.081	534	0.526
114/2	0.073	536	0.053
114/23 क	0.073	106/3 ग	0.352
104/3	0.340	119	0.384
104/4	0.270	187	0.202
114/19 क	0.583	188/3	0.089
114/20 ख	0.101	476	0.789
114/23 ख	0.526	503/3, 506	0.336
114/23 ग	0.081	507/4	0.991
88/2, 91/5	0.166	192/6	0.494
102/2	0.065	192/7	0.405
103/32 ख	0.328	336	0.202
114/23 ख	0.324	337	0.194
114/24 ख	0.551	351	0.454
104/5	0.146	352	0.210
114/23 ङ	0.012	372	0.886
114/19 ख	0.125	481	0.688
114/23 च	0.081	487	0.506
114/9 ग	0.445	505/1	0.243
114/19 छ	0.547	507/1	0.263
114/23 क	0.093	507/3	0.219
114/23 ज	0.070	24/3	0.291
114/20 ग	0.074	359/1	0.064
91/4 ख	0.256	452/3	0.057
114/18 ग	1.359	453/1	1.943
91/3	0.089	455/2, 463/4	0.388
103/23	0.142	466	0.182
91/1 ग	0.104	515	0.344
301/3	1.627	511	0.061
299/1 छ	0.729	193/4	1.169
106	0.991	223	0.061
107	0.445	224/1	0.117
108	0.364	225/1	0.627
123/3	0.405	283	0.275
116	0.599	284	0.547

(1)	(2)	(1)	(2)
106/4	0.745	121/1	0.263
113/1	0.809	184	0.121
260	0.004	123/1	0.405
369	1.141	185/3	0.170
106/3 ख	0.352	185/5	0.115
120	0.336	103/6	0.405
155/3 ख	0.409	103/5 क	0.445
185/2	0.089	291/2	0.190
177	1.106	293/1	0.081
179	0.116	167/23, 307/1	0.849
181	0.182	207	0.040
182	2.165	211	0.040
192/4	0.393	191/11	0.142
105/542	1.314	167/56	1.080
214/2	0.283	167/26	1.011
324	1.193	464/2	0.223
320	0.526	281	0.360
323	0.559	308	0.539
366	0.020	171	0.454
367	0.113	285/2	0.365
368	0.012	294/2	0.115
483	0.113	340/2	0.170
317	0.223	451/2	0.102
359/2	0.012	454/2	0.040
364	0.101	286/6	0.129
453/2	0.692	263	0.053
453/3	0.299	371/2	0.898
463/5	0.494	103/27	0.283
500/3	0.210	103/34	0.809
106/1 क	0.364	167/38	0.196
114/2 क	0.295	220/1	0.122
121/3, 122/2	0.777	222	0.101
123/2 क	0.360	197	0.539
149/1, 149/3, 150, 151/1 क	0.111	311/2	0.299
155/4	0.004	513/2	0.607
186/1	0.121	167/21	0.324
188/1 क	0.235	312	1.053
191/3 क	0.299	315, 318	0.939
193/3 क	0.745	341	0.049
24/2	0.295	342	0.057
309/1	0.146	343	0.219
106/2 क	0.356	344	0.032
113/2 क	0.121	479	0.121

(1)	(2)	(1)	(2)
509	0.761	299/11	0.142
345	0.008	303/1	0.583
1/64, 103/32	0.506	304	0.324
93	0.384	463/3	0.061
94/2	0.454	167/24	0.045
103/24	0.202	106/5	0.664
321/2	0.607	109	0.202
365/2	0.543	121/2	1.619
314	0.668	123/4	0.097
335	0.081	188/5	0.081
472/3	0.170	191/1	0.526
484	0.101	193/2	0.316
487/2	0.547	193/5	1.169
505/2, 507/2	0.283	192/8	0.243
103/2	0.223	201	0.117
103/7	0.097	202	0.445
193/2	0.466	203/5	0.121
316	0.397	203/2, 299/2	0.304
338	0.040	300	0.125
346	0.049	530	0.170
192/3	0.142	537	0.579
215	0.041	103/4	0.142
364	1.275	103/5 ख	0.502
477	0.121	103/14	0.101
94/3	0.190	293/3	0.121
96	0.777	97	0.069
195	0.304	309/3	0.145
321/1	0.696	192/12	0.121
365/1	0.454	292	0.069
167/16	0.849	296	0.163
305/2	0.324	364/3	0.324
299/4	0.648	167/23, 307/2	0.923
299/5	0.210	167/58	1.090
167/17	2.306	285/4	0.364
208	0.235	286/4	0.131
282	0.263	294/4	0.117
298	0.344	334/4	0.262
306	1.761	74/4	0.613
309/2	0.983	75	0.324
347	0.077	76	0.069
299/6	0.526	225/2	0.349
299/9	0.324	226	0.202
299/10	0.340	227	0.064

(1)	(2)
91/6	0.182
91/7	0.053
493/2	0.931
495	0.040
499	0.425
500/2	0.097
514/2	0.162
519/1	0.060
520/3	0.134
528	0.324
493/4	0.340
111	1.113
205	0.405
313	1.052
370	0.093
योग 440	153.835

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खमगढ़ा जलाशय योजना की डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

जशपुर, दिनांक 9 जून 2004

क्रमांक 10/भू-अर्जन/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-डोडराही, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.275 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
74	0.113
141, 142	0.130
73/1	0.320
79	0.061
143	0.145
156	0.093
137/1	0.413
योग 07	1.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलसुंगा तालाब योजना के शाखा नहर चेन क्र. 90 से 124 तक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 28 दिसम्बर 2004

क्रमांक 173/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-बैकुण्ठपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खोडरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
960	0.08
607	0.04
745	0.10
571	0.15
382	0.03
583	0.06
604	0.05
613	0.03
667	0.04
624	0.06
717	0.07
627	0.06
718	0.07
672	0.04
381	0.02
673	0.04
425	0.04
561	0.02
606/2	0.04
602	0.04
459	0.07
458	0.03
734	0.01
744	0.04
339	0.02
477	0.03
614	0.03
560	0.04
338	0.05
562	0.04
572	0.07
623	0.06
742	0.11
375	0.01
427	0.06
573	0.08
741	0.05
योग 37	1.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खाडा जलाशय की नहर का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमीर अली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/57/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-सिघनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.186 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
188/4	0.117
188/2	0.518
188/3	0.077
196	1.368
183	1.469
208	0.829
198	0.259
195	0.729
203/1	0.712
207	1.538
205	0.587
188/1	0.478
186	0.721
204	0.356
179	0.547
181	0.458
206	0.607
203/2	0.202
187	1.554
194	3.461
185	1.360
182	0.753
197	0.486
योग	19.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक एफ 7-15/राजस्व/2005.—सक्षम प्राधिकारी बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 168/भू.अ./अ.वि.अ./दिनांक 4-12-2004 एवं ज्ञापन क्रमांक 170/भू. अ./अ.वि.अ./2004 दिनांक 13-12-2004 के अनुसार बिलासपुर जिले के तहसील मस्तूरी के 10 ग्रामों (उसलापुर, दवनडीह, कर्रा, धनिया, कुली, खम्हरिया, परसाही, लूथरा, भौराडीह एवं खाड़ा) में 227-भू-धारकों की कुल 98.59 एकड़ (संलग्न अनुसूची अनुसार) निजी भूमि में भूमिगत पाइपलाईन डालने हेतु दिनांक 31-5-2006 तक भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जित करने संबंधी छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 की धारा 4 की उपधारा 1 एवं 2 के तहत अधिसूचना प्रकाशित किये जाने के फलस्वरूप अनुसूची में दर्शित निजी भूमि के उपयोग के अधिकार समस्त प्रभारों से मुक्त राज्य शासन में निहित है.

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 2004 के नियम 10 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अनुसूची में दर्शित निजी भूमि के उपयोग के राज्य शासन में निहित अधिकार एतद्द्वारा हसदेव बांगो नहर से एन.टी.पी.सी. परियोजना सीपत को जल आपूर्ति हेतु भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार एन.टी.पी.सी. परियोजना सीपत जिला बिलासपुर में निहित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, अवर सचिव.

अनुसूची

सींपत परियोजना हेतु मेकअप वाटर पाइपलाइन कारीडोर के लिए आवश्यक निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
ग्राम कर्रा, प. ह. नं. 36, रा. नि. मं. सीपत, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर	
267	0.08
245/3	0.31
254/2, 255/1	0.07
245/1	0.55
254/1	0.02
270/2	0.03
235	0.03
272/1	0.02
253	0.12
235/3	0.25
268	0.95
231	0.74
269/2	0.78
233/2	0.05

(1)	(2)
235/7	0.03
232/1	0.58
233/1	0.88
235/2	0.32
235/4	0.03
243/1	0.08
245/2, 245/5	0.25
269/1	0.06
245/4	0.45
272/2	0.03
283/3	0.07
266	0.08
योग 26	9.47

ग्राम दवनड़ीह, प. ह. नं. 36, रा. नि. मं.-सीपत, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर

90/13	0.35
90/140/35	0.16
98/1	0.10
78/5	0.30
78/4	0.25
40/1	0.05
132/2	1.06
76/5	0.30
96	0.28
40/3	0.16
76/3	0.35
48/3	0.35
49	0.40
61/2	0.40
76/1	0.15
56/1	0.60
56/6	0.15
57/1	0.20
75/2	0.18
76/2	0.03
61/1	0.18
48/2	0.09
132/4	0.42
76/4	0.24

(1)	(2)
75/1	0.27
90/6	0.40
62/1, 62/2, 62/3	0.50
97	0.67
39/1	0.49
39/5	0.15
56/3,56/5	0.46
59	0.54
48/1	0.86
39/4	0.18
56/4	0.36
60	0.06
40/7	0.18
58/3	0.12
योग 40	13.087

ग्राम उसलापुर, प. ह. नं. 35, रा. नि. मं.-सीपत, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर

(1)	(2)
154/7	0.54
139	0.31
142	0.22
135/2	0.02
140	0.35
196/2	0.01
141/2	0.24
195/2	0.70
195/5	0.25
135/1	0.01
195/6	0.02
196/3	0.26
154/6	0.20
195/3	0.68
योग 14	4.26

ग्राम परसाही, प. ह. नं. 36, रा. नि. मं.-सीपत, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर

(1)	(2)
147/4	0.10
148	0.53

	(1)	(2)
	140/2	0.35
	145/1	0.10
	142	0.30
	157	0.50
	147/3	0.30
	139	0.16
	151	0.35
	147/6	0.84
	149/1	1.00
	138/2	0.20
	158/1	0.54
	143/2	0.10
	144	0.10
	140/1	0.40
	141/2	0.10
	149/2	0.60
	143/1	0.60
	112/3	0.15
	150	0.18
	156	0.15
	166/2	0.07
योग	23	7.72

ग्राम धनिया, प. ह. नं. 35, रा. नि. मं.-सीपत, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर

	292/3	0.40
	292/4	0.70
	292/1, 297/3	0.01
	296/5	0.02
	292/2, 292/13	0.24
	292/11, 297/4	0.20
	296/4	0.05
योग	7	1.62

ग्राम भौराडीह, प. ह. नं. 34, रा. नि. मं.-सीपत, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर

80/1	0.68
88	0.80

	(1)	(2)
	6/1	0.02
	3/4	0.33
	77/1	0.11
	2	0.09
	6/6	0.36
	75	0.06
	80/2	0.05
	4	0.28
	13	0.20
	14	0.28
	77/2	0.10
	6/3	0.60
	6/5	0.28
	3/9	0.56
	71/2	0.05
	81	0.25
	5	0.17
	3/10, 3/11	0.40
	76/2	0.25
	3/12, 3/13	0.38
	74	0.50
	76/1	0.26
	89/4	0.20
योग	25	7.26

ग्राम लुथरा, प. ह. नं. 34, रा. नि. मं.-सीपत, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर

(1)	(2)
745/3	0.20
740/1	0.02
744	0.20
731/2	0.02
737/3	0.20
741/2	0.90
731/3	0.25
727/2	0.32
727/1	0.20
727/3	0.15
656	0.18
742/1, 743/3	0.06
732/1	0.74

	(1)	(2)
	738	0.03
	739/2	0.20
	741/3	0.07
	742/2, 743/5	0.08
	743/4	0.07
	743/2	0.02
	654/2	0.52
	731/2	0.28
	839/1	0.36
	743/6	0.06
	736	0.10
	737/2	0.02
	654/1, 654/3	0.25
	737/1	0.50
	743/1	0.12
	657	0.32
योग	29	6.44

ग्राम खाड़ा, प. ह. नं. 35, रा. नि. मं.-सीपत, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर

(1)	(2)
287/5, 289/5	0.12
287/11	0.32
315/2, 315/3	0.07
355/2	0.32
287/1	0.15
283/1	0.15
283/2	0.62
283/3	0.17
311/2	0.02
310/2	0.38
346/4	0.10
345/1	0.43
346/3	0.24
310/4	0.25
346/7	0.01
281	0.31
310/1	0.25
386/3	0.02
339/1	0.13
282	0.05

	(1)	(2)
	345/2	0.32
	308/1	0.10
	354/1	0.28
	357	0.33
	346/2	0.40
	310/3	0.25
	355/1	0.02
	386/2	0.12
	386/5	0.01
	311/1	0.16
	287/9, 289/4	0.70
	287/2	0.08
	317	2.12
योग	33	9.00

ग्राम खम्हरिया, प. ह. नं. 34, रा. नि. मं.-सीपत, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर

(1)	(2)
320/3	0.26
405/1	0.25
313/1	0.32
334	0.36
598, 599	0.86
611/7	0.92
589/1	0.14
408	1.29
616/1	0.40
315/1	0.16
320/2	0.18
589/3	0.20
437	0.30
439	0.08
310/1	0.24
309/1	0.42
397	0.02
394	0.08
396/5, 397/2	0.40
607	0.08
611/6	0.80
323	1.22
325	0.04

(1)	(2)
390	0.34
312	0.11
396	0.19
333/1	0.18
333/2	0.18
396/6	0.85
309/4	0.20
320/4	0.29
304/3, 306, 574/2	0.76
309/2, 309/3, 310/2	0.53
610/1	0.18
590/1	0.05
296/1	0.59
297/1	0.43
298	0.06
308	0.08
311	0.66
322	0.84
324	0.34
326	0.04
391	0.02
392	0.18
393	0.07
395	0.02
400	0.03
402	0.40
407	1.83
433	1.03
434/1	1.04
435	0.04
438	0.12
404	0.36
405/7	0.09
योग 56	21.07

ग्राम कुली, प. ह. नं. 34, रा. नि. मं.-सीपत, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर

756	0.20
96	0.80
154/2	0.18

	(1)	(2)
	549	1.32
	750	0.24
	704	0.21
	237	0.20
	148/2	0.18
	167/2	0.03
	244/2	1.18
	152	0.54
	703	0.12
	261/1	1.04
	548	0.26
	757	0.06
	758	0.23
	167/1	0.36
	746	0.22
	747, 748/1	1.43
	98/2	0.02
	159/3	0.07
	535	1.13
	705	0.01
	535	0.27
	738	0.03
	260	0.01
	166/1	0.03
	97	0.03
	153	0.32
	752	0.13
	242/1	0.28
	169/2	0.26
	736/2	1.03
	737	0.02
	244/1	0.02
	751	0.13
	167/3	0.32
	551	0.35
	163	0.13
	169/4	0.38
	170	0.93
	241/2	0.01
	552	0.01
	553	0.09
	154/1	0.22
	755	0.34
	98/4	0.32
	240	0.04
	98/1	0.02
	550	0.24
योग	50	17.88

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जनवरी 2005

''प्ररूप-घ''
(नियम 6 देखें)

अधिसूचना

क्रमांक 07.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जांजगीर-चांपा को अधिसूचना क्रमांक 275, दिनांक 30 जुलाई, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नम्बर (4)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बलौदा/21	117/3	0.70
			117/5	0.99
			148, 149	0.05
			150	0.30
			151, 152, 153, 154	0.45

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बलौदा/21	155/2	0.30
			164, 165	0.25
			166, 219	0.46
			167	0.20
			168	0.12
			169	0.38
			170	0.05
			171	0.05
			220, 221, 222	0.82
			223	0.70
			224	0.32
			225	0.24
			226, 306	0.25
			227, 305	0.34
			228	0.02
			229/2	0.15
			281	0.05
			283	0.02
			284	0.33
			285	0.22
			286	0.15
			291, 292, 293, 294	0.10
			295, 296	0.46
			298	0.10
			303/2, 304/2	0.22
			307	0.10
			308	0.40
			310	0.35
			312, 313, 314	0.05
			330/1	0.18
			330/2, 331, 880	0.40
			885/3	0.32
			886	0.35
			887	0.05
			888	0.06
			889, 912/1, 4185	0.41
			890/1	0.25
			890/2	0.15
			891	0.60
			892	0.15
			909/1	0.09
			909/2, 4203/4	0.21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बलौदा/21	910	0.88
			911	0.23
			912/2	0.11
			912/10	0.20
			912/11	0.33
			923/2	0.35
			933/1	0.10
			935	0.30
			936/1	0.18
			936/2	0.20
			938/1	0.60
			938/2	0.35
			940/1	0.03
			940/2, 941, 942	0.40
			943, 944	0.24
			949/1, 1006	0.20
			1000	0.10
			1003	0.30
			1004/2	0.40
			1005/1	0.32
			1379/1	0.20
			1380/2	0.50
			1380/4	0.21
			1380/5	0.20
			1380/6, 1380/7	0.92
			1632	0.02
			1633/1, 1633/2	0.32
			1634/1	0.18
			1698/2	1.21
			1698/3	0.30
			1700/1	0.10
			1701	0.35
			1735, 1738/2, 1738/5	0.80
			1736	0.32
			1738/1	0.10
			1738/3	0.26
			1739	0.22
			1740/1	0.20
			1740/2	0.20
			1742, 1744, 1800, 1801/1	0.40
			1743	0.10
			1745/1	0.40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बलौदा/21	1745/2	0.02
			1746	0.03
			1747	0.15
			1748	0.12
			1749	0.07
			1750	0.02
			1751	0.02
			1755/1	0.02
			1756/2	0.28
			1757	0.10
			1761/1	0.82
			1761/2	0.40
			2402	0.25
			2407	0.30
			2408/2	0.15
			2412/1	0.20
			2412/2	0.22
			2412/4	0.25
			2414/1	0.29
			2414/2	0.29
			2415/1	0.02
			2415/2	0.02
			2416/1	0.12
			2416/2	0.45
			2464/1	0.11
			2464/2	0.10
			2465, 2466/1	0.05
			2466/2, 2466/3	0.20
			2467	0.15
			2468	0.10
			2469/1	0.02
			2469/2	0.35
			2470	0.16
			2471/1, 2471/2	0.20
			2471/3	0.22
			2471/4	0.30
			2472	0.28
			2473/1	0.25
			2473/3	0.15
			2473/4	0.42
			2473/5	0.10
			2473/7	0.40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बलौदा/21	[illegible]74/1	0.10
			2474/2	0.38
			2473/3	0.15
			2480/3	0.10
			2481	0.15
			2482/1	0.10
			2482/3	0.15
			2482/4	0.05
			2483/1	0.07
			2483/2	0.60
			2484/1	0.10
			4101, 310 के पास	0.55
		योग	143	36.91

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जनवरी 2005

"प्ररूप-घ"
(नियम 6 देखें)

अधिसूचना

क्रमांक 08.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जांजगीर-चांपा को अधिसूचना क्रमांक 275, दिनांक 30 जुलाई, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने [illegible] आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	हरदी विशाल/23	590, 591	0.15
			592	0.24
			593/1, 593/2	0.12
			595/1	0.24
			595/2	0.44
			596/1	0.32
			596/2, 597, 698/12	0.50
			598	0.30
			684/1, 685/1	0.60
			599/1, 698/10	0.20
		योग	10	3.11

आर. एक्का,
अनुविभागीय अधिकारी.